विकास एवं पंचायत विभाग

27 जनवरी, 1994

क्रमांक 373/.—पंचायत खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी हिसार–1 द्वारा की गई रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत मैयड़ खण्ड हिसार–1 निम्नलिखित आरोपों में प्रथम दृष्टि से दोषी पाई गई है :—

1. यह कि ग्राम पंचायत मैयड़ ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं, उनको हटवाने में समस्त ग्राम पंचायत असफल रही है।

2. गांव में शराब की उप दुकान खोलने के प्रस्ताव पर श्री राजपाल पंच द्वारा हस्ताक्षर करके कार्यवाही पुस्तिका ही में काटे हुये हैं, जो कि नियमानुसार गलत हैं। जिसमें श्री राजपाल पंच दोषी है।

3. पंचायत की शामलात भूमि की निलामी 43 हजार रुपये की हुई थी, सरपंच द्वारा इस राशि में से 20 हजार रुपये बैंक में जमा करवाए गए, शेष 23 हजार रुपये सीधे अपने स्तर पर विकास कार्यों पर खर्च, कर दिये गये हैं, जोकि नियमों के विपरीत हैं। जबकि नियमानुसार राशि बैंक में जमा करवानी चाहिये थी।

4. ग्राम पंचायत द्वारा राजपाल मंच को 5 हजार रुपये धानकों की चौपाल के लिये निकलवाने तथा खर्च करने का अधिकार दिया गया था, उसने यह राशि खर्च नहीं की बल्कि जवाब में यह बताया कि उसने यह राशि किसी और को दे दी, इस तरह पंच ने पंचायत फण्ड की राशि को खुर्च–बुर्द किया है। श्री राजपाल पंच 3 अगस्त, 1993 को 3 हजार व 5 हजार रुपये जे.आर.वाई. से गली निर्माण हेतु निकलवाये, लेकिन पंचायत को इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया, जिसका वह पूर्णतया दोषी है।

श्री उमेद सिंह पंच ने दिनांक 3 दिसम्बर, 1992 को 5 हजार रुपये स्कूल की मुरम्मत व मजदूरी हेतू निकलवाए परन्तु उसका हिसाब–किताब नहीं दिया।

श्री अमर सिंह पंच को दिनांक 18 अक्तूबर, 1992 को 5 हजार रुपये तथा दिनांक 28 अक्तूबर, 1992 को 2800/–रुपये तथा दिनांक 18 मई, 1993 को 14000/–रुपये की राशि विकास कार्य करवाने हेतू राशि निकलवाई गई, लेकिन पंचायत को रसीद नही दी।

उपरोक्त समस्त पंचों को खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1344–46 दिनांक 6 अगस्त, 1993 द्वारा रसीद पेश करने व बकाया राशि को पंचायत फण्ड में जमा करवाने बारे लिखा गया परन्तु उन्होंने इसकी कोई पालना नहीं की।

5. ग्राम पंचायत द्वारा एजेण्डा जारी करने पर भी केवल चार पंच हाजरी लगाने के लिये आते है। सरपंच के साथ 7 पंचों में से केवल 2 पंच ही हैं। ये पंच आपस में पार्टी बाजी बनाये हुये हैं और विकास कार्य करने में पूर्णतया असफल रहे हैं।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1161–68/पंचायत, दिनांक 18 फरवरी, 1993 द्वारा ग्राम पंचायत मैयड़ की समस्त पंचायत को पंजाब ग्राम अधिनियम 1952 की धारा 103(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करने बारे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके उत्तर में सर्वश्री अमर सिंह, उमेद सिंह, राजपाल सिंह, शोभा, रामकिशन व श्री मति बहुपति महिला पंच ने संयुक्त उत्तर में अपने ऊपर लगाने गये आरोपों का खण्डन किया तथा यह भी तर्क लिया कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही के लिये सरपंच दोष है। इसके अतिरिक्त श्री लहरी सिंह सरपंच तथा श्री चन्दूराम पंच ने अपने संयुक्त उत्तर में यह निवेदन किया कि नाजायज कब्जे हटाने के लिये दिनांक 3 अगस्त, 1992 को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई उसमें श्री उमेद सिंह, श्री राजपाल श्री शोभा राम, श्री अमर सिंह व श्री रामकिशन पंच ने कहा कि हम कोई भी कार्यवाही नहीं करते। इसलिये आगे कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी। उपरोक्त पंचों द्वारा कार्य में रुचि ना लेने के कारण गांव में नाजायज कब्जे ज्यादा हुये हैं। पंचायत की शामलात भूमि की निलामी की राशि जो खर्च की गई है, वह प्रस्ताव पास करके ही की गई है। उसने राशि का दुरुपयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त उमेद सिंह, राजपाल व अमर सिंह पंच पंचायत की राशि निकलवा कर दुरुपयोग कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त उप-मण्डल अधिकारी (ना०), हिसार द्वारा भी छान-बीन की गई उन्होंने भी सरपंच को पंचायत फण्ड की राशि कैश-इन-हैण्ड रखने का पूर्ण रूप से दोषी बताया है।

समस्त पंचायत के सदस्यों द्वारा लिखित उत्तर व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी हिसार-1 द्वारा उस पर दी गई टिप्पणी के अवलोकन उपरांत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ग्राम पंचायत में अल्प मत होने पर गतिरोध पैदा हो गया है और इस गतिरोध के कारण नाजायज कब्जे हटवाने, पंचायत की सम्पत्ति को सुरक्षित न करने व पंचायत को वित्तीय हानि पहुंचाने में समस्त पंचायत असफल रही है। सरपंच के साथ केवल एक पंच है और 6 पंच दूसरी तरफ हैं, जिसमें से 3 पंचों ने ग्राम पंचायत की राशि विभिन्न विकास कार्यों हेतू निकलवा कर पंचायत फण्ड का दुरुपयोग किया है। अतः मैं संजीव कुमार, आई.ए.एस., उपायुक्त, हिसार ग्राम पंचायत एक्ट 1952 की धारा 103(1) के तहत ग्राम पंचायत मैयड़ तहसील व जिला हिसार को निलम्बित करता हूं और ग्राम पंचायत एक्ट की धारा 103(2) (सी) के तहत खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी हिसार-1 को प्रशासक नियुक्त करता हूं।

संजीव कुमार,
उपायुक्त, हिसार।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
BUILDINGS AND ROADS BRANCH
HISAR CIRCLE

The 27th January, 1994

No. 28HA/63-HI/2251.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, constructing Cap. between Satrod Kalan to Ladwa-Satrod Kalan Road Hissar, district Hissar it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purposes.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P. W. D., B. & R. Branch, Hisar or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana P. W.D., B. & R. Branch, Hisar or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, P. W. D., B. & R., Hisar or Executive Engineer, Provincial Division No. 1, P. W. D., B. & R. Branch, Hissar.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/Village	Area in Acres	Rectangle
		Hanbast No.		Khasra No.
Hissar	Hissar	Satrod Kolan 53 Length 1068 KM. RD.0 to 5610 RD.0 to 2210		100 15, 16, 17, 24, 25 118 21 101 19 to 22 244/2 25 to 28
		2210×40 9×4840	2.83	244/2 40 to 43, 90 to 93, 105 to 110, 118 to 120,
		RD 2210 to 5510 3300×27.5 9×4840	2.08 4.11	244/2 122
		Cons. Path RD 2210 to 5510	2.08	2 3
		Balance	2.03	

(Sd) . . . ,
Superintending Engineer,
Hissar Circle.

8087 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.